

15-2-22

पत्रावली पेश हुई S.D.O. सा. अग्र जार्ज में मस्त है,
वकील प्राधी उप.

पत्रावली पुरानुसार दिनांक 30-3-22
में पेश हो।

31-3-22

पत्रावली आज पेश हुई बार द्वारा कब दि. 30-3-22 को अवकाश देने
सम्बन्धित किया गया है। अब पत्रावली से पत्रावली आज पेश हुई
पुरानुसार दिनांक 14-6-22 को S.D.O. सा. अग्र जार्ज में मस्त है।
पेश की जावे

14-6-22

पत्रावली पेश हुई वकील प्राधी उपरिधत नही
हुए हैं। प्रकरण में तहसील दार बेगू के पत्र क्र/स/क.र.
2022/1175 दि. 19-5-22 से पञ्चर गढी के सम्बन्ध
में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मू. अ. नि. वृत्त राजगढ की
रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में प्राधी का नाम देवीलाल
पिता भोजा ना होकर देवीलाल पिता भैरू है। पुंव
वियक्षी स. 3 मथरा पिता रोडू ना होकर मथरा
पिता टोडू है। जिसकी मृत्यु हो चुकी है। कि रिपोर्ट
प्राप्त हुई है। अतः वकील प्राधी के चाचा वय में
उपरिधत नही होने से व प्राधी के पिता का नाम
प्रा. पत्र में गलत अंकित करने तथा वियक्षी 3 मथरा
के पिता का नाम भी गलत अंकित करने और वियक्षी
स. 3 मथरा की मृत्यु की रिपोर्ट आने से प्रा. पत्र अध.
128 4-R A खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(Handwritten signature)